

फिर खुले लाल डायरी के पने! हुई सचिन पायलट की एंट्री



जयपुर (कार्यालय संचाददाता)

राजस्थान में विधासभा चुनाव की मतगणना के दिन पास आने के साथ सियास्त की तपशि बढ़ती जा रही है। एक बार फिर कथित लाल डायरी के मुदे ने कांग्रेस में हड़कंप मचा दिया है। इसमें आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट के दिल्ली जाने की रेकी करवा रहे थे। गौतमलव है कि तेलंगाना में मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर गहलोत का बयान अभी शांत नहीं हुआ।

उसी बीच राजस्थान की राजनीति में लाल डायरी के पने ने फिर खलबली मचा दी है। इस डायरी में एक मीडिया चैनल के रिपोर्टर का भी जिक्र किया गया।

फिर से जाग उठा लाल डायरी का जिन्न

मतगणना के दिन सभी पास आते ही कांग्रेस में एक के बाद एक बबल उत्तरे जा रहे हैं। यदि कांग्रेस रिपोर्ट होती है तो सीएम कौन होगा, इस चर्चा के बीच फिर से यह बताया जा रहा है कि पूर्व मंत्री गुहा ने लाल डायरी को लेकर एक पार्टी और रिलायंस कर दिया है। इसमें सीएम गहलोत को लेकर यह सनसनीखेज खुलासा हुआ है। इस डायरी में गहलोत की ओर से पायलट के दिल्ली

जाने की रेकी करवाने की बात समझे आई है। इसके अलावा इस डायरी में यह भी खुलासा हुआ है कि गुड़ागांव के एक फ्लैट और महोली में दानिश अबरार के फार्म हाउस और सचिन पायलट को पूरी योजना की रिकॉर्डिंग करने की बात लिखी है।

लाल डायरी में सोनिया गांधी के भाई का भी जिक्र

गुड़ा की ओर से दाव किया है कि इस डायरी में सोनिया गांधी के भाई का जिक्र भी किया गया है। इसके अलावा लाल डायरी में लिखा है कि होटल शिव विलास के मालिक के बेरे के बिहार समारोह में सोनिया गांधी के भाई भी पहुंचे। इसी भाई के मुख्यमंत्री गहलोत से मुलाकात फिल्म करने के लिए छरू के एप्सडी खानांत शर्मा से कहा गया।

आखिर यह भाई कौन था? इसको लेकर गुड़ा ने आरोप लगाया कि यह कौई सोनिया गांधी का भाई नहीं था, बल्कि कौई दलाल था।

लाल डायरी में खुलासा पायलट की होती थी रेकी

लाल डायरी के एक पने में पायलट का जिक्र करते हुए लिखा है कि सरकार गिराने की योजना बनाई जा रही है। आए दिन गुड़ागांव में कर्कोई फ्लैट है और महोली में दानिश अबरार का फार्म हाउस पर रुक्कर ऐसी गतिविधियां कर रहा है।

इसी पने में आगे लिखा है कि तब सीएम साहब बोले तुम कोई ऐसी व्यवस्था करो कि सचिन पायलट को पूरी योजना की रिकॉर्डिंग मिल जाए। इसमें यह भी कहा गया है कि सचिन पायलट पर नजर रखें कि सचिन पायलट इधर से कब दिल्ली जा रहा है।

2024 में प्र.म. मोदी का 'ब्रह्मास्त्र' होगी पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना?

केंद्र सरकार ने 5 साल के लिए बढ़ाया

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारत सरकार ने प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को पांच सालों के लिए बढ़ा दिया है। यह योजना कोरोनाकाल के दौरान शुरू की गई थी और प्र.म. मोदी ने पांच राज्यों की चुनावी रैलियों के दौरान भी योजना का जिक्र किया था। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक प्रेस कांफ्रेस करते हुए कहा, यह मोदी सरकार की एक बड़ी उपलब्धि है कि पिछले पांच सालों में लगभग 13.50 करोड़ भारतीय गरीबी स्तर से ऊपर उठे हैं। इसी तरह कोविड-19 महामारी के दौरान प्रधान मंत्री गहलोत ने एप्सडी खानांत शर्मा से कहा गया।

निर्णय लिया है कि इस योजना को 1 जनवरी 2024 से अगले पांच वर्षों के लिए बढ़ाया जाएगा।



बीच मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले पांच वर्षों के लिए बढ़ाया की घोषणा की थी। इस योजना के तहत पिछले तीन सालों से देश में गरीबों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। अब जब एक महीने के भीतर यह मुफ्त राशन योजना समाप्त हो रही है तो सरकार का यह ऐलान राहत


को बताना चाहता है।

प्र.म. मोदी ने कर दिया था ऐलान

प्रधानमंत्री मोदी ने चुनावी मौसम के

फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे मनीष सिसोदिया

जज साहब, एक बार दोबार से विचार कीजिए...



नई दिल्ली (एजेंसी)। आम आदमी पार्टी (आप) नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली शाराब घोटाले से जुड़े मनी-लॉन्डिंग मामले में जमानत देने से इनकार करने के सुप्रीम कोर्ट शीर्ष अदालत के 30 अक्टूबर के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में समीक्षा याचिका दायर की है। यह याचिका मनीष सिसोदिया के वकील विवेक जैन ने 24 नवंबर को दायर की थी। आपको बता दें कि जस्टिस संजीव खना और एसवीएन भट्टी की पीठ ने 30 अक्टूबर को सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह अगर निचली अदालत में द्रायल में देरी होती है तो सिसोदिया तीन महीने बाद याचिका दायित्व कर सकते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा था कि विशेषण में कुछ ऐसे पहलू हैं जो संदिध हैं और 338 करोड़ रुपये ट्रांसफर साहित होता है, इसलिए हमने जमानत खारिज कर दी

है। पीठ ने कहा था कि अगर आने वाले 6 महीनों में सुनवाई भीषी गति से आगे बढ़ती है तो वह (मनीष सिसोदिया) इस अदालत का रूपकर कर सकते हैं। शाराब घोटाले मामले में सिसोदिया इस साल 26 फरवरी से जेल में हैं। उनकी जांच केंद्रीय जांच ब्लूरे (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) दोनों द्वारा की जा रही है।

इस घोटाले में मनीष सिसोदिया पर आरोप है कि दिल्ली सरकार के अधिकारियों ने रिश्ते के बदले कुछ व्यापारियों को शाराब लाइसेंस देने में मिलीभात की थी। आरोपी अधिकारियों पर कुछ शराब विक्रीकारों को फायदा पहुंचाने के लिए आवकारी नीति में बदलाव करने का आरोप है। दिल्ली हाईकोर्ट ने पहले दो केंद्रीय एजेंसियों द्वारा उनके खिलाफ मामलों में सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद आप नेता ने राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट का रूपकर किया था।

इस मामले की सुनवाई द्वारा आदेश के दौरान, पीठ ने ईडी से कहा कि प्रिवेशन ऑफ मनी लॉन्डिंग एक्ट (प्र.म.एल.) के तहत मनी लॉन्डिंग के अपाराध के लिए प्री-डेटिंग अपाराध की तारीख तय की जानी चाहिए और ईडी कोई प्री-डेटिंग अपाराध नहीं बना सकता है। पीठ ने सीबीआई और ईडी से जाना चाहा था कि क्या रिश्तेखोरी का कोई सबूत है जो कथित घोटाले में मनीष सिसोदिया को फंसा सकता है?

नासा अगले साल भारतीय एस्ट्रोनॉट को स्पेस स्टेशन पर भेजेगा

इस एस्ट्रोनॉट को चुनेगा, अमेरिकी स्पेस एजेंसी ट्रेनिंग देगी

लेकिन भारत ऐसा करने वाला पहला देश था। इस पर वो बढ़ाई के पात्र हैं। भारत की यात्रा के दौरान नेल्सन ने अंतरिक्ष विभाग के केंद्रीय राज्य मंत्री जीतेंद्र सिंह से भी भी बोली अदालत की तहसील ने कहा-भारत 2040 तक स्पेस स्टेशन बनाना चाहता है। अगर वे इस पर हमारे साथ मिलकर काम करना चाहेंगे, तो हम इसके लिए तैयार हैं।

एक इंटरव्यू में प्र.म. मोदी की एस्ट्रोनॉट बनने की पीसिविलिटी पर नेल्सन ने कहा-भारत 2040 तक स्पेस स्टेशन बनाना चाहता है। अगर वे इस पर हमारे साथ मिलकर काम करना चाहेंगे, तो हम इसके लिए तैयार हैं।

एक इंटरव्यू में प्र.म. मोदी की एस्ट्रोनॉट बनने की पीसिविलिटी पर नेल्सन ने कहा-भारत 2040 तक स्पेस स्टेशन बनाना चाहता है। अगर वे इस पर हमारे साथ मिलकर काम करना चाहेंगे, तो हम इसके लिए तैयार हैं।

धर्मी पर जमीन या पानी में होने वाले किसी भी तरह के बदलाव पर याचिका दायर कर दिया जाता है। इससे पृथ्वी के भविष्य को खारिज कर अवधि अन्न जारी करने के लिए एक देखने वाले वाले वाले हैं।

धर्मी पर जमीन या पानी में होने वाले किसी भी तरह के बदलाव पर याचिका दायर कर दिया जाता है। इससे पृथ्वी के भविष्य को खारिज कर अवधि अन्न जारी करने के लिए एक देखने वाले वाले हैं।

इससे पृथ्वी के भविष्य को खारिज कर अवधि अन्न जारी करने के लिए एक देखने वाले वाले हैं।

इससे पृथ्वी के भविष्य को खारिज कर अवधि अन्न जारी करने के लिए एक देखने वाले वाले हैं।

इससे पृथ्वी के भविष्य को खारिज कर अवधि अन्न जारी करने के लिए एक देखने वाले वाले हैं।

इससे पृथ्वी के भविष्य को खारिज कर अवधि अन्न जारी करने के लिए एक देखने वाले वाले हैं।

इससे पृथ्वी के भविष्य को खारिज कर अवधि अन्न जारी करने के लिए एक देखने वाले वाले हैं।

इससे पृथ्वी के भविष्य को खारिज कर अवधि